

# राजस्थान स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसायटी


निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्ये  
(स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, राजस्थान, जयपुर)  
(फोन नं. 0141-2225532, 2222452 फ़ैक्स नं. 0141-2221792)

क्रमांक : एड्स/सीएसटी(41)/2022/250

दिनांक: 1-2-22

## आवश्यक सूचना

सोसायटी कार्यालय के पत्रांक AIDS/Proc./ART NGO/2021-22/2553 दिनांक 09.07.2021 द्वारा केयर सपोर्ट सेन्टर्स के एमपेनलमेन्ट हेतु विज्ञापन जारी किया गया था। उक्त के क्रम में आवेदन के साथ Copy of memorandum of association and article of association दस्तावेज आवश्यक है। जिन एनजीओ/सीबीओ द्वारा पूर्व में उक्त दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं किये हैं, वह उक्त दस्तावेज की सत्यापित प्रति ई-मेल ([cstrsacs@gmail.com](mailto:cstrsacs@gmail.com)) के माध्यम से 7 दिवस के अन्दर भिजवायें। किसी भी संस्था से नया आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा।

  
(डॉ. रविप्रकाश शर्मा)  
निदेशक (एड्स) एवं  
परियोजना निदेशक, RSACS

## अनिवार्य / आवश्यक मापदण्ड (दस्तावेज)

- सोसायटी पंजीकरण प्रमाण पत्र / ट्रस्ट डीड की प्रतिलिपि (पंजीकरण का नवीनतम प्रमाण पत्र, यदि राज्य में समय पर पंजीकरण नवीनीकरण की नीति है)
- मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की प्रतिलिपि
- ऑडिटेड स्टेटमेंट की प्रमाणित प्रति – एनजीओ के लिए – 3 वर्ष, सीबीओ के लिए – कम से कम 1 वर्ष
- गतिविधि रिपोर्ट / वार्षिक रिपोर्ट – एनजीओ के लिये – 3 वर्ष, सीबीओ के लिए – कम से कम 1 वर्ष
- विश्वसनीयता जांच : क्या संगठन को किसी सरकारी एजेंसी द्वारा काली सूची में डाला गया है या किसी दाता (डोनर) द्वारा वापिस ले लिया गया है –
  - यदि हां तो हलफनामे की प्रतियां उपलब्ध कराने की आवश्यकता है
  - संलग्न द्वारा स्व-घोषणा / शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसमें उल्लेख किया गया हो कि संगठन CAPART या किसी अन्य सरकार / दाता एजेंसियों द्वारा ब्लैक लिस्टेड नहीं है।
  - उपरोक्त के विपरीत, यदि कोई संगठन उपरोक्त किसी भी एजेंसी द्वारा ब्लैक लिस्टेड पाया जाता है, तो प्रदान की गई परियोजना को तुरन्त समाप्त कर दिया जाएगा।
- आयकर विवरणी दस्तावेज – एनजीओ के लिये – 3 वर्ष, सीबीओ के लिए – कम से कम 1 वर्ष
- पैन कार्ड की प्रतिलिपि
- संपर्क विवरण और व्यवसाय के साथ बोर्ड / शासी निकाय के सदस्यों की सूची
- नीति आयोग-दर्पण पोर्टल के पंजीकरण प्रमाण पत्र / नंबर की प्रतिलिपि
- ईओआई जमा करने वाले अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का पहचान दस्तावेज (पते के साथ सरकारी फोटो आईडी)
- न्यूनतम वित्तीय टर्नओवर सीबीओ के लिए – एनजीओ के लिये – 10 लाख / वार्षिक, सीबीओ के लिए – शून्य